

मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
गोरखपुर


पृ0सं0 / मा0प्रौ0वि0 / 65-79 / INC_130 / नीलामी / 457 / 2025

दिनांक: 27, जनवरी, 2025

प्रबंधक विपणन
राष्ट्रीय सहारा
गोरखपुर, उ0प्र0
महोदय,

कृपया, आप द्वारा दिये गये कोटेशन दिनांक: 29.08.2023 के अनुक्रम में कृपया विश्वविद्यालय के सूखे गिरे वृक्षों के बोटों की नीलामी निविदा सूचना (विज्ञप्ति) अधोलिखित विवरण के अनुसार राष्ट्रीय सहारा दैनिक समाचार-पत्र के गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगन्ज, सिध्दार्थनगर, बस्ती एवं संतकबीरनगर के हिन्दी संस्करणों में यथाशीघ्र प्रकाशित कराने की सादर कृपा करें।

क्रम सं0	एडीशन/प्रेस	साइज	दर (RS)	देय धनराशि (RS)
01.	राष्ट्रीय सहारा (हिन्दी) दैनिक समाचार-पत्र (गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगन्ज, सिध्दार्थनगर, बस्ती एवं संतकबीरनगर)	8 से0मी0X5 से0मी0=40 स्क्वायर से0मी0	@ Rs. 850.00 स्क्वायर से0मी0 Less : Discount RS 350.00 Net Rate offer Discount	RS. 500.00 Per Sq.Cm
			Rs. 20,000.00	
			Add :- G.S.T.@ 5% (+) Rs. 1,000.00	
			Total Payable Amount :- Rs. 21,000.00 (Rupees Twenty One Thousand Only)	



वित्त नियंत्रक

संलग्नक


पृष्ठां0 सं0 व दिनांक: उपरोक्त।

प्रतिलिपि:

01. वै0 सहायक कुलपति को मा0 कुलपति महोदय के सूचनार्थ सादर प्रेषित।
02. कुलसचिव महोदय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
03. अध्यक्ष निष्प्रयोज्य समिति/स्क्रेप मूल्यांकन समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
04. भण्डार अधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।
05. वित्त नियंत्रक कार्यालय।
06. सह अधिष्ठाता, उद्यान एवं सी0डी0सी0 महोदय को उनके द्वारा प्रेषित नीलामी प्रस्ताव के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित।
07. श्री जगदीश सिंह, स्टोरकीपर/सदस्य-सचिव, निष्प्रयोज्य समिति को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


वित्त नियंत्रक

8 Cum



मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
गोरखपुर-273010 (उ०प्र०)

दिनांक: 27.1.25

नीलामी-सूचना

नीलामी निविदा सं०-मा०प्रौ०वि./उद्यान-सी०डी०सी०-नीलामी/454/2025
विश्वविद्यालय के परिसर प्रकोष्ठ/उद्यान अनुभाग के चार्ज वाले विभिन्न प्रजाति के 27
सूखे गिरे वृक्षों के 175 बोटो तथा शीशम के सूखे गिरे 03 वृक्षों के 31 बोटों (कुल 208
अदद बोटों) एवं आम के 02 अदद एवं जामुन का 01 अदद खड़े पड़े वृक्षों (कुल 33 वृक्षों)
की खुली स्थलीय नीलामी कार्या० प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर के पत्रांक: 1664/37-1,
पत्रांक: 1052/37-1 तथा पत्रांक: 3915/37-1 द्वारा प्रदान की गई अनुमति के अधीन
विश्वविद्यालय की निष्प्रयोज्य एवं स्क्रेप समिति की देखरेख में दिनांक: 27 फरवरी, 2025
को पूर्वाह्न 11 बजे सर जे.सी. बोस सभागार, ओल्ड प्रशासनिक भवन में निर्धारित है। उक्त
नीलामी में बोली लगाने एवं प्रतिभाग करने वाले इच्छुक बिडर्स रू०. 2,000/- प्रति
निविदापुस्तिका की दर पर वित्त नियंत्रक कार्यालय से दिनांक: 25 फरवरी, 2025 के पूर्व
तक निविदा पुस्तिका का क्रय करके नीलामी में प्रतिभाग कर सकते हैं। उक्त नीलामी से
संबंधित विस्तृत नियम एवं शर्तें एवं अन्य विवरण www.mmmut.ac.in तथा जनपद
गोरखपुर के NIC पोर्टल पर आवश्यक कार्यवाही हेतु उपलब्ध हैं।

कुलसचिव

5 Cum

5 Cum

8 Cum

मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर


पृ0सं0 / मा0प्रौ0वि0 / 65-79 / INC_130 / नीलामी / 456 / 2025

दिनांक 27 जनवरी, 2025

M/S OMNI ADVERTISERS
Near Kali Mandir, Daudpur,
Gorakhpur, U.P.-273001
महोदय,

कृपया, आप द्वारा दिये गये कोटेशन दिनांक: 11.11.2024 के अनुक्रम में कृपया विश्वविद्यालय के सूखे गिरे वृक्षों के बोटों की नीलामी निविदा सूचना (विज्ञप्ति) अधोलिखित विवरण के अनुसार दैनिक जागरण दैनिक समाचार-पत्र के गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगन्ज, सिध्दार्थनगर, बस्ती एवं संतकबीरनगर के हिन्दी संस्करणों में यथाशीघ्र प्रकाशित कराने की सादर कृपा करें।

क्रम सं0	एडीशन / प्रैस	साइज	दर (RS)	देय धनराशि (RS)
01.	दैनिक जागरण (हिन्दी) दैनिक समाचार-पत्र (गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगन्ज, सिध्दार्थनगर, बस्ती एवं संतकबीरनगर)	8 से0मी0X5 से0मी0=40 स्क्वायर से0मी0	@ Rs. 879.00 स्क्वायर से0मी0 Less : Discount RS 88.00 @ 10% Net Rate Rs. 791.00 Per Sq.Cm	RS. 31,640.00 (After Discount)
				Rs. 31,640.00
				Add :- G.S.T.@ 5% (+) Rs. 1,582.00
				Total Payable Amount :- Rs. 33,222.00
				(Rupees Thirty three Thousand Two Hundred Twenty two Only)



वित्त नियंत्रक

संलग्नक

पृष्ठां0 सं0 व दिनांक: उपरोक्त।

प्रतिलिपि:

01. वै0 सहायक कुलपति को मा0 कुलपति महोदय के सूचनार्थ सादर प्रेषित।
02. कुलसचिव महोदय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
03. अध्यक्ष निष्प्रयोज्य समिति/स्क्रेप मूल्यांकन समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
04. मण्डार अधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।
05. वित्त नियंत्रक कार्यालय।
06. सह अधिष्ठाता, उद्यान एवं सी0डी0सी0 महोदय को उनके द्वारा प्रेषित नीलामी प्रस्ताव के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित।
07. श्री जगदीश सिंह, स्टोरकीपर/सदस्य-सचिव, निष्प्रयोज्य समिति को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


वित्त नियंत्रक

टेण्डर पुस्तिका का मूल्य रु 2000/- (प्रति प्रतिभागी
बोलीकर्ता/बिडर)-नॉन-रिफण्ड



मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
गोरखपुर-273010

टेण्डर सं०:-मा०प्रौ०वि०/उद्यान-सी०डी०सी०-नीलामी/454 /2025

दिनांक: 27-1-2025

विषय: सी०डी०सी०/उद्यान अनुभाग के चार्ज में विभिन्न प्रजाति के 27 सूखे/गिरे वृक्षों के 175 बोटो (संलग्न परिशिष्ट-1-A) तथा 03 शीशम के वृक्षों के 31 बोटों (संलग्न परिशिष्ट-1-B) (कुल 175 + 31 = 206 अदद बोटों) एवं आम के 02 अदद एवं जामुन का 01 अदद खड़े वृक्षों, (कुल 33 वृक्षों) जिनकी खुली नीलामी की अनुमति कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर के पत्रांक: 1664/37-1 दिनांक: 01 अक्टूबर, 2021 पत्रांक: 1052/37-1 दिनांक : 01 सितम्बर, 2021 तथा पत्रांक: 3915/37-1 दिनांक: 02 मार्च, 2023 द्वारा प्रदान कर दी गई है, की खुली नीलामी "जहाँ है, जैसा है, As is, where is" के आधार पर विश्वविद्यालय के निष्प्रयोज्य समिति/स्कैप मूल्यांकन समिति की देख-रेख में किये जाने विषयक ।

संलग्नक:

परिशिष्ट-1 सूखे, गिरे, पडे वृक्षों के विभिन्न साइज के बोटों के विवरण (B.O.Q.) के शिडयूल स०-1- A,1-B तथा 1-C

परिशिष्ट-2 नीलामी-प्रपत्र के विवरण, नियम एवं शर्तें ।

परिशिष्ट-3 परिशिष्ट-1 के (B.O.Q.) शिडयूल स०-1- A,1-B एवं 1-C हेतु समग्र एवं एकीकृत रूप से बोली स्थल पर नीलामी वाले दिन दिनांक 27.2.2025 को पूर्वाह्न 11:35 पर बोलीकर्ता/ बिडर द्वारा भरा जाने वाला फार्म/ नीलामी मूल्य-पत्र/ बोली के विवरण/फार्म-3

परिशिष्ट-4 परिशिष्ट-1 के (B.O.Q.) शिडयूल स०-1- A,1-B एवं 1-C के अंतर्गत सी०डी०सी०/उद्यान अनुभाग के चार्ज वाले सूखे, गिरे एवं पडे 30 अदद वृक्षों के बोटो (कुल बोटो की संख्या-शिडयूल स०-1- A-175 बोटो + शिडयूल स०-1- B-31बोटो = कुल-206 बोटो) एवं आम के 02 अदद एवं जामुन के 01 अदद खड़े वृक्षों जिसका पातन नहीं किया गया है, परन्तु वन विभाग, गोरखपुर द्वारा नीलामी हेतु प्रदत्त की गई कुल 33 अदद वृक्षों की सूचना में शामिल है, के लाट के अंतर्गत प्राप्त एक मुश्त एवं सर्वाधिक अधिकतम बोली के सापेक्ष निष्प्रयोज्य समिति/स्कैप मूल्यांकन समिति द्वारा प्रमाणित प्रमाण पत्र/उद्घोषणा पत्र/संस्तुति/फार्म-4/ Letter of Intent.

Cub
कुलसचिव
24/01/25

मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
गोरखपुर-273010

टेण्डर सं०:-मा०प्रौ०वि०/उद्यान-सी०डी०सी०-नीलामी / 454 / 2025

दिनांक: 24-1-2025

विषय: सी०डी०सी०/उद्यान अनुभाग के चार्ज में (विभिन्न प्रजाति के 27 सूखे/गिरे वृक्षों के 175 बोटो (संलग्न परिशिष्ट-1-A) तथा 03 शीशम के वृक्षों के 31 बोटों (संलग्न परिशिष्ट-1-B) = कुल 30 वृक्षों के कटान के उपरान्त निर्मित्त किये गए 206 अदद बोटों एवं आम के 02 अदद एवं जामुन के 01 अदद खड़े वृक्षों (कुल 33 अदद वृक्षों) जिनकी खुली नीलामी की अनुमति कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर के पत्रांक: 1664/37-1 दिनांक: 01 अक्टूबर, 2021 पत्रांक: 1052/37-1 दिनांक : 01 सितम्बर, 2021 तथा पत्रांक: 3915/37-1 दिनांक: 02 मार्च, 2023 द्वारा प्रदान कर दी गई है, की खुली नीलामी "जहाँ है, जैसा है/As is, where is" के आधार पर विश्वविद्यालय के निष्प्रयोज्य समिति/स्कैप मूल्यांकन समिति की देख-रेख में किये जाने विषयक।

निविदा - प्रपत्र पुस्तिका का मूल्य रू 2,000/= (दो हजार रुपये मात्र) प्रति प्रतिभागी/बिडर (+GST अतिरिक्त)

निविदा - प्रपत्र पुस्तिका खरीदने का स्थान: वित्त अनुभाग, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भूमितल, नवीन प्रशासनिक भवन, गोरखपुर, उ०प्र०

निविदा - प्रपत्र पुस्तिका खरीदने की अन्तिम तिथि 25.02.2025

संलग्नक परिशिष्ट-1 के शिड्यूल स०-1- A, 1-B एवं 1-C को स्थलीय निरीक्षण करने की अन्तिम तिथि 24.2.2025 समय 4.50 तक

स्थलीय खुली नीलामी बोली लगाने की तिथि 27.02.2025 11:00 बजे से प्रारम्भ होगी।

बोली लगाने का स्थान: ओल्ड प्रशासनिक भवन स्थित सरस्वती लॉन, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर, उ०प्र०

क्र०सं०	शिड्यूल सं०/छायाप्रति (परिशिष्ट-1)	नीलामी का आरक्षित न्यूनतम मूल्य रूपयों में/अधिकतम मूल्य बोली के आधार पर निर्धारण होगा।
1.	शिड्यूल स०-01- A	1.श्रेत्रीय वनाधिकारी द्वारा कुल 33 अदद वृक्षों की प्रदत्त नीलामी की अनुमति के अधीन मूल्यांकित न्यूनतम नीलामी मूल्य- Rs. 1,28,730=00
2.	शिड्यूल स०-01-B	2. उपरोक्त 33 अदद वृक्षों में से 30 अदद वृक्षों के कटान के उपरान्त निर्मित्त किये गए 206 अदद बोटों के निर्मित्त करने में विश्वविद्यालय द्वारा किये गये कुल व्यय Rs.1,43,075=00
		कुल 33 अदद वृक्षों में से 30 अदद वृक्षों के 206 अदद बोटों एवं आम के 02 अदद एवं जामुन के 01 अदद खड़े वृक्षों (कुल 33 अदद वृक्षों) की न्यूनतम नीलामी धनराशि उपरोक्त 1 + 2 =Rs. 2.71,805=00 (+ GST अतिरिक्त)
		3. अधिकतम नीलामी-मूल्य उद्धरित करने वाले बिडर/बोलीकर्ता द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा इस टेण्डर विज्ञप्ति को समाचार-पत्र में प्रकाशित कराने के व्यय को नीलामी आदेश जारी होने के उपरान्त विश्वविद्यालय को पृथक से भुगतान किया जाना आवश्यक होगा।

C/S
24/01/25
कुलसचिव

मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
गोरखपुर-273010

टेण्डर सं०:-मा०प्रौ०वि०/उद्यान-सी०डी०सी०-नीलामी / 454 / 2025

दिनांक: 27-1-2025

विषय: सी०डी०सी०/उद्यान अनुभाग के चार्ज में विभिन्न प्रजाति के 27 सूखे/गिरे वृक्षों के 175 बोटो (संलग्न परिशिष्ट-1-A) तथा 03 शीशम के वृक्षों के 31 बोटों (संलग्न परिशिष्ट-1-B) (कुल 206 अदद बोटों) एवं आम के 02 अदद एवं जामुन के 01 अदद खड़े वृक्षों (कुल 33 अदद वृक्षों) जिनकी खुली नीलामी की अनुमति कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर के पत्रांक: 1664/37-1 दिनांक: 01 अक्टूबर, 2021 पत्रांक: 1052/37-1 दिनांक : 01 सितम्बर, 2021 तथा पत्रांक: 3915/37-1 दिनांक: 02 मार्च, 2023 द्वारा प्रदान कर दी गई है, जो कि खुली नीलामी "जहाँ है, जैसा है/As is, where is" के आधार पर विश्वविद्यालय के निष्प्रयोज्य समिति/स्कैप मूल्यांकन समिति की देख-रेख में किये जाने विषयक।

नीलामी से सम्बंधित नियम एवं शर्तें-

1. स्थलीय नीलामी की समस्त कार्यवाही निष्प्रयोज्य समिति एवं स्कैप मूल्यांकन समिति की देखरेख में दिनांक 27.02.2025 को पूर्वाह्न : 11:00 बजे से विश्वविद्यालय परिसर में स्थित ओल्ड प्रशासनिक भवन स्थित सरस्वती लॉन में संचालित की जायेगी।
2. नीलामी खुली स्थलीय नीलामी के आधार पर परिशिष्ट-1 के शिडयूल स०-1-A एवं 1-B के कुल 30 वृक्षों के कुल 206 अदद सागौन, सेमर एवं बोटल पाम एवं शीशम के बोटों एवं आम के 02 अदद एवं जामुन के 01 अदद खड़े वृक्षों (कुल 33 अदद वृक्षों) हेतु अधिकतम बोली के 07 चकों में प्राप्त/ उद्धृत अधिकतम मूल्यों के आधार पर समग्र रूप से एक साथ सभी बोटों हेतु की जायेगी एवं नीलामी का कुल मूल्य निर्धारण करते हुए किया जायेगा।
3. स्थलीय खुली नीलामी में दिनांक 27.02.2025 को पूर्वाह्न:11:00 बजे निष्प्रयोज्य समिति द्वारा उन्हीं बिडर्स/बोलीकर्ताओं को प्रतिभाग करने की अनुमति प्रदान की जायेगी, जिन्होंने टेण्डर पुस्तिका का क्रय रु 2,000.00 (नान रिफन्डेबल) मूल्य वित्त नियंत्रक कार्यालय में अन्तिम तिथि/दिनांक 25.02.2025 के सायं 04:30 बजे के पूर्व जमा करते हुए उक्त टेण्डर पुस्तिका के साथ संलग्न परिशिष्ट-3 पर अपनी समस्त प्रविष्टियां एवं अपना आधार कार्ड अथवा अन्य समकक्ष फोटो पहचान पत्र की स्व-प्रमाणित प्रति नीलामी स्थल पर निष्प्रयोज्य समिति के आकलन हेतु प्रस्तुत की होगी।
4. समस्त प्रतिभागियों/ बिडर्स/बोलीकर्ताओं द्वारा परिशिष्ट-3 पर संलग्न फार्म पर 07 चकों में लगाई गई अपनी-अपनी अधिकतम बोली/मूल्य अंको एवं शब्दों में स्पष्ट अंकित करके अध्यक्ष, निष्प्रयोज्य/स्कैप मूल्यांकन समिति को नीलामी के तत्काल उपरान्त हस्तगत कराना अनिवार्य होगा।
5. उपरोक्त क्रमांक-4 के अनुसार नीलामी कार्य सम्पन्न होने एवं बोलीकर्ताओं द्वारा परिशिष्ट-3/मूल्य-पत्र हस्तगत कराने के उपरान्त सदस्य-सचिव/ कन्वीनर, निष्प्रयोज्य/स्कैप मूल्यांकन समिति द्वारा परिशिष्ट-4 पर संलग्न संस्तुति/उदघोषणा-पत्र भर कर निष्प्रयोज्य/स्कैप मूल्यांकन समिति के सदस्यों एवं अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार एवं संस्तुति प्राप्त करने के बाद उक्त खुली-स्थलीय नीलामी में प्रतिभागी समस्त बोलीकर्ताओं/बिडर्स में से ओवरऑल (समग्र) रूप से उद्धृत की गयी बोलीकर्ता के द्वारा उद्धृत अधिकतम/सर्वोच्च नीलामी मूल्य के आधार पर संस्तुति प्रदान की जायेगी।
6. समस्त उपस्थिति बिडर्स/बोलीकर्ताओं द्वारा परिशिष्ट-1 के शिडयूल स०-1-A एवं 1-B में दर्शाये गये 30 अदद वृक्षों से निर्मित 206 अदद बोटो एवं आम के 02 अदद एवं जामुन के 01 अदद खड़े वृक्षों (कुल 33 अदद वृक्षों) हेतु एक साथ 07 चकों में बोली लगाना एवं उक्त की प्रविष्टि परिशिष्ट-3 पर संलग्न फार्म पर भरकर हस्ताक्षरोपरांत निष्प्रयोज्य/स्कैप मूल्यांकन समिति को तत्काल नीलामी स्थल पर ही हस्तगत कराना अनिवार्य होगा। यदि उक्त नियम का पालन बिडर्स/बोलीकर्ताओं द्वारा नहीं किया जाता है तो उक्त


बोलीकर्ता की बोली पर कोई विचार नहीं किया जाएगा उक्त उसकी बोली एवं नीलामी में सहभागिता अमान्य कर दी जायेगी।

7. परिशिष्ट-4 पर संलग्न नीलामी अधिकतम मूल्य-पत्र फार्म पर निष्प्रयोज्य/स्कैप मूल्यांकन समिति द्वारा संस्तुति-पत्र जारी करने के उपरान्त 07 चक्रों में सर्वोच्च बोली/नीलामी मूल्य का 25% धनराशि, धरोहर धनराशि के रूप में सम्बंधित संस्तुति किये गये बोलीकर्ता/बिडर को विश्वविद्यालय के वित्त नियंत्रक कार्यालय के सहयोग से विश्वविद्यालय-कोष/खाते में नीलामी वाले दिन, दिनांक 2.1.2.2025 को नगद जमा करना अनिवार्य होगा। यदि वह ऐसा करने में असफल होता है तो उस बिडर के पक्ष में प्रदान की गई संस्तुति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
8. सम्बंधित संस्तुत बोलीकर्ता/बिडर द्वारा कुल नीलामी-मूल्य का शेष 75% धनराशि मूल्य Letter of Intent (Form-4) जारी होने के 03 कार्य दिवसों के अन्दर वित्त नियंत्रक कार्यालय के सहयोग से विश्वविद्यालय कोष में जमा कराना अनिवार्य होगा।
9. समस्त नीलामी कार्य एवं नीलामी मूल्य का प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन का अधिकार मा0 कुलपति महोदय के अधिकार क्षेत्रों के अंतर्गत मान्य, बाध्यकारी तथा निहित होगा एवं मा0 कुलपति महोदय को इस टेण्डर को आंशिक अथवा पूर्णतया स्वीकृत अथवा अस्वीकृत अथवा विश्वविद्यालय कार्य-हित में परिमार्जित करने का अधिकार होगा जो समस्त पक्षों को मान्य होगा।
10. बोली लगाने वाले व्यक्ति यदि निर्धारित शर्तों को पूर्ण नहीं करता है अथवा विश्वविद्यालय का कोई नियम भंग करता है तो वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा-185 के अंतर्गत अभियोजन के लिए उत्तरदाई होगा।
11. परिशिष्ट-1 के शिडयूल स0-1-A एवं 1-B में दर्शाये गये नीलामी से आच्छादित 30 अदद वृक्षों के कुल 206 अदद बोटों एवं आम के 02 अदद एवं जामुन के 01 अदद खड़े वृक्षों (कुल 33 अदद वृक्षों) को आदेशित क्रेता/बोलीकर्ता/बिडर द्वारा अन्यत्र ले जाने हेतु कार्यालय: प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर वन प्रभाग, गोरखपुर के पत्रांक : 1664/37-1 दिनांक: 01 अक्टूबर, 2021 एवं पत्रांक: 1052/37-1 दिनांक : 01 सितम्बर, 2021 में विहित आदेश के क्रम में कार्यालय: प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर वन प्रभाग, गोरखपुर के पत्रांक : 4453/37-1 दिनांक: 15 मार्च, 2022 में विहित निर्देशानुसार वन विभाग, गोरखपुर द्वारा विश्वविद्यालय को प्रदान की गई 33 वृक्षों के पातन अनुज्ञा की शर्तों के अनुसार, विश्वविद्यालय द्वारा जमा की गई बन्धक जमानत की धनराशि एफ0 डी0 आर0 खाता संख्या-40838059114 दिनांक 08.03.2022 मु0 25,000/- (पच्चीस हजार रू मात्र) एवं एफ0 डी0 आर0 खाता संख्या-40838060312 दिनांक 08.03.2022 मु0 5,000/- (पांच हजार रू मात्र) विश्वविद्यालय द्वारा जमा कर दिये जाने के फलस्वरूप तथा 33 वृक्षों को काटने की अनुमति इस शर्त पर प्रदान की गई है कि विश्वविद्यालय द्वारा इन वृक्षों के कटान के पूर्व रू 100/- प्रति वृक्ष की दर से पाटन शुल्क की धनराशि तथा अपना प्रापर्टी धन रजिस्ट्रेशन शुल्क 75/- रू की धनराशि क्षेत्रीय वन अधिकारी, तिलकोनियां में जमा करें।

उपरोक्त के अनुपालन में वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-2 प्रपत्र सं0-43, (1)(प्रस्तर-417 एवं 478)/कोषागार के प्रपत्र-209(1) पर विश्वविद्यालय द्वारा रू 3,075/- प्रत्येक एवं अन्य श्रोतों का राजस्व शुल्क, प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर महोदय के पत्रांक: 4453/37-1 दिनांक 15.03.2022 के क्रम में 33 वृक्षों के पातन का अनुमति शुल्क रू 3,000/- + घन रजिस्ट्रेशन शुल्क रू 75/- = कुल रू 3,075/- वन विभाग, गोरखपुर मंडल, गोरखपुर, उ0प्र0 में जमा करते हुए उनके द्वारा जारी रसीद सं0 E-3 बुक न0- 12534 न0-58 दिनांक 21.03.2022 द्वारा विश्वविद्यालय के कुल 30 वृक्षों का पातन के उपरान्त बोट विश्वविद्यालय के उद्यान अनुभाग/सी0डी0सी0 द्वारा कुल 206 बोट बनाकर वन विभाग, गोरखपुर द्वारा प्रदान की गई नीलामी की अनुमति से यह नीलामी से आच्छादित है, जबकि, आम के 02 अदद एवं जामुन के 01 अदद वृक्षों का पातन उद्यान/सी0डी0सी0 अनुभाग द्वारा नहीं किया गया है, परन्तु उक्त के पातन की अनुमति कुल 33 प्रस्तावित पातन एवं नीलामी हेतु क्षेत्रीय वनाधिकारी गोरखपुर महोदय द्वारा विश्वविद्यालय को प्रदत्त है, जिनके व्यय भुगतान संस्तुत क्रेता/बोलीकर्ता द्वारा कुल रू 33,075/- विश्वविद्यालय को (नीलामी-मूल्य के अतिरिक्त) तथा विश्वविद्यालय द्वारा उक्त वृक्षों के कटान एवं बोटों के बनाने में किये गये व्यय

(रू0 25,000 / + 5,000 + 3,075 / + 55,000 / + 15,000 / - + उक्त बोटों के विश्वविद्यालय परिसर में सुरक्षित ढुलाई में किये गये व्यय रू 40,000- = कुल रूपये 1,43,075=00 का भुगतान एवं टेण्डर से संबंधित समाचार पत्रों में प्रकाशित टेण्डर नोटिस के विश्वविद्यालय द्वारा वहन किये गये व्यय अतिरिक्त रूप से (नीलामी-मूल्य के अतिरिक्त) बिडर द्वारा वित्त नियंत्रक कार्यालय के माध्यम से विश्वविद्यालय कोष में जमा करते हुए नियमानुसार, अभिवहन पास वन विभाग, गोरखपुर से अपने व्यय पर प्राप्त करने के उपरान्त ही 30 वृक्षों के पातन से निर्मित 206 बोटों एवं आम के 02 एवं जामुन के 01 खड़े वृक्षों की ढुलाई करके अपने गन्तव्य पर ले जाना अनिवार्य होगा।

12. पूर्ण नीलामी मूल्य एवं अन्य उपरोक्त क्रमांक-11 के अनुसार निर्दिष्ट राजस्व सम्बंधित देयकों का भुगतान क्रेता बिडर द्वारा शत-प्रतिशत कर दिये जाने एवं वन विभाग, गोरखपुर से अभिवहन पास क्रेता द्वारा अपने व्यय पर प्राप्त करने के उपरान्त ही कुलसचिव द्वारा जारी गेट पास पर समस्त 206 बोटों एवं आम के 02 अदद एवं जामुन के 01 अदद खड़े वृक्षों (कुल 33 अदद वृक्षों) को अपने गन्तव्य पर क्रेता द्वारा ले जाया जायेगा।
13. यदि आदेशित बिडर/बोलीकर्ता निर्धारित समय के भीतर सर्वोच्च नीलामी बोली की 25% धनराशि धरोहर धनराशि के रूप में उसी दिन एवं शेष 75% शेष नीलामी मूल्य धनराशि तथा वन विभाग, गोरखपुर द्वारा उनके पक्ष में जारी अभिवहन पास नीलामी आदेश जारी होने के 10 कार्यकारी दिवसों के भीतर नहीं जमा करता है तो उक्त परिस्थितियों में उसके द्वारा जमा धरोहर धनराशि जब्त करते हुए एवं उसके पक्ष में नीलामी-आदेश निरस्त करने हेतु विश्वविद्यालय अधिकृत होगा।
14. निविदा-प्रपत्र पुस्तिका का मूल्य, धरोहर धनराशि, नीलामी मूल्य विश्वविद्यालय द्वारा 30 वृक्षों के पातन पर किये गये व्यय एवं जी0एस0टी0 इत्यादि का भुगतान क्रेता/बिडर द्वारा वित्त नियंत्रक कार्यालय के माध्यम से विश्वविद्यालय कोष में जमा करना अनिवार्य होगा एवं तदोपरांत प्रभारी, वनाधिकारी वन प्रभाग, गोरखपुर द्वारा निर्गत अभिवहन पास विश्वविद्यालय में कुलसचिव कार्यालय को जमा कर देने के उपरांत ही विश्वविद्यालय द्वारा आदेशित क्रेता/बोलीकर्ता/बिडर के पक्ष में गेटपास जारी किया जायेगा।
15. नीलामी-मूल्य का शत-प्रतिशत भुगतान हो जाने एवं गेट पास जारी होने के 10 दिनों के भीतर आदेशित लकड़ी के बोटों को क्रेता बिडर द्वारा अपने गन्तव्य पर अपने व्यय पर ले जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में बोटों के लाट की अभिरक्षा हेतु 1% प्रतिदिन की दर से विक्रय मूल्य पर अतिरिक्त प्रभार नीलामी हेतु संस्तुत/आदेशित व्यक्ति द्वारा विश्वविद्यालय के वित्त अनुभाग में करना अनिवार्य होगा।
16. किसी मतभेद की स्थिति में मा0 कुलपति महोदय द्वारा नामित व्यक्ति अथवा कुलसचिव महोदय द्वारा पंचाट किया जायेगा, जिसका निर्णय उभय पक्षों को मान्य होगा।
17. किसी मुकदमें की स्थिति में वाद संस्थित करने का क्षेत्राधिकार गोरखपुर जनपद सिविल कोर्ट में निहित होगा।
18. टेण्डर के किसी भी नियम को शिथिल करने, स्वीकार करने, परिमार्जित करने अथवा पूर्णतया विश्वविद्यालय कार्य-हित में निरस्त करने का अधिकार मा0 कुलपति महोदय में निहित होगा।
19. कुलसचिव महोदय द्वारा गेट-पास जारी कर दिये जाने के उपरान्त ही 30 वृक्षों के पातन से निर्मित 206 बोटों एवं आम के 02 अदद एवं जामुन के 01 अदद खड़े वृक्षों (कुल 33 अदद वृक्षों) को प्रभारी, उद्यान/सी0डी0सी0 द्वारा आदेशित क्रेता/बिडर को हस्तगत कराना अनिवार्य होगा।
20. अधिकतम नीलामी-मूल्य उद्धरित करने वाले बिडर/बोलीकर्ता द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा इस टेण्डर विज्ञप्ति को समाचार-पत्र में प्रकाशित कराने के व्यय को नीलामी आदेश जारी होने के उपरान्त विश्वविद्यालय को पृथक से भुगतान किया जाना आवश्यक होगा।


 24/01/25
 कुलसचिव

मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
गोरखपुर-273010

30 वृक्षों के 206 अदद बोटो (परिशिष्ट-1 के शिडयूल सं0-1- A, 1-B) एवं 1-C के अर्न्तगत आम के 02 अदद एवं जामुन के 01 अदद खड़े वृक्षों (1-C) की खुली एवं स्थलीय नीलामी के दिन दिनांक 27-2-2025 को बोलीकर्ता/बिडर/केता द्वारा भर कर दिया जाने वाला फार्म-

सेवा में,

अध्यक्ष, निष्प्रयोज्य समिति/स्कैप मूल्यांकन समिति

मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,

गोरखपुर।

विषय: विश्वविद्यालय की निविदा सं0 मा0मो0मा0प्रौ0वि0/उद्यान-सी0डी0सी0-नीलामी / 454 / 2025 दिनांक 27.02.2025 के अर्न्तगत सी0डी0सी0/उद्यान अनुभाग के परिशिष्ट-1 के शिडयूल सं0-1- A, 1-B एवं 1-C में दर्शाये गये शीशम,सागौन, सेमर एवं बोटल पाम के कुल 30 वृक्षों के 206 अदद विभिन्न साइजों के लकड़ी के बोटो एवं आम के 02 अदद एवं जामुन के 01 अदद खड़े वृक्षों (कुल 33 अदद वृक्षों) को 'जहां है जैसा है'(As is Where is) के आधार पर नीलामी की उच्चतम बोली लगाये जाने/दर उद्धरित करने सम्बंधित प्रतिभागी व्यक्ति/बिडर/बोलीकर्ता द्वारा दिया गया घोषणा-पत्र।

महोदय,

कृपया, उपरोक्त विषयक प्रार्थी निम्नलिखित सहमति पूरे होशोहवास में शुद्धचित्त से प्रदान करता है/हूँ-

1. प्रार्थी (पूरा नाम एवं पहचान पत्र पर अंकित पता).....
.....पुत्र/पति (पिता
अथवा पति का नाम): श्री/मेसर्स.....
जनपद.....का निवासी हूँ/है। प्रार्थी की आयुवर्ष है।
2. प्रार्थी उपरोक्त निविदा के अर्न्तगत परिशिष्ट-1 पर दर्शाये गए शिडयूल सं0-1- A, 1-B एवं 1-C की नीलामी एक मुश्त एवं समग्र रूप से कुल 206 बोटों व आम के 02 अदद एवं जामुन के 01 अदद खड़े वृक्षों (कुल 33 अदद वृक्षों)को कय करने का इच्छुक हूँ/है।
3. प्रार्थी ने उक्त निविदा से सम्बंधित परिशिष्ट-2 पर अंकित समस्त नियम एवं शर्तों का भली-भांति अध्ययन कर लिया है एवं लकड़ी के बोटों का मौके पर जाकर स्थलीय निरीक्षण नीलामी से पूर्व कर लिया है और हर प्रकार से संतुष्ट होकर परिशिष्ट-2 पर उल्लिखित एवं निर्दिष्ट नीलामी से सम्बंधित निर्धारित नियम एवं शर्तों को पूर्ण करते हुए खरीदने की सहमति 'जहां है जैसा है'(As is Where is) के आधार पर प्रदान करता हूँ/है।
4. प्रार्थी को निविदा से सम्बंधित समस्त नियम एवं शर्तें मान्य है और उन्हें पूर्ण करने का वचन देता/देती हूँ।
5. प्रार्थी वन विभाग, गोरखपुर के उपरोक्त पत्रांको के अनुसार समस्त व्यय स्वयं करते हुए अभिवहन पास वन विभाग, गोरखपुर से अपने व्यय पर जारी करवा कर यथाशीघ्र प्रस्तुत करेगा एवं अपनी उच्चतम बोली/नीलामी मूल्य Rs.....के अतिरिक्त विश्वविद्यालय द्वारा किये गए व्यय पातन शुल्क रु 30,000/+घन रजिस्ट्रेशन शुल्क रु 3,075/= (कुल रु 33,075/+ विश्वविद्यालय द्वारा उक्त वृक्षों के कटान एवं बोटों के बनाने में किये गए व्यय रुपये 55,000/+ 15,000/+ उक्त बोटों के विश्वविद्यालय परिसर में सुरक्षित ढुलाई में किये गए व्यय रुपये 40,000.00) अर्थात् कुल रुपये (30,000.00+3,075+15,000.00+55,000.00+40,000.00) = रुपये 1,43,075.00 (एक लाख तेतालिस हजार पचहत्तर रुपये मात्र) एवं विश्वविद्यालय द्वारा इस टेण्डर विज्ञप्ति को समाचार-पत्रों में प्रकाशित किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति का भुगतान विश्वविद्यालय को नीलामी मूल्य के साथ (GST अतिरिक्त) अतिरिक्त रूप से कुल उद्धरित नीलामी मूल्य में सम्मिलित करते हुए भुगतान करना सुनिश्चित करेगा तथा विश्वविद्यालय द्वारा गेट पास जारी करने के पूर्व वित्त नियंत्रक कार्यालय के माध्यम से उक्त धनराशि विश्वविद्यालय कोष में जमा करने एवं श्रेत्रीय वनाधिकारी, गोरखपुर कार्यालय में स्वयं आवेदन करके अभिवहन पास जारी करवा कर उक्त की एक प्रति कुलसचिव कार्यालय में जमा करने का वचन देता हूँ।
6. प्रार्थी द्वारा नियम एवं शर्तों के अनुसार कुल नीलामी-मूल्य (उद्धरित अधिकतम नीलामी मूल्य + विश्वविद्यालय द्वारा किये गये कुल व्यय धनराशि Rs.1,43,075/=) का 25% धरोहर धनराशि रु(अंको में) रु.
.....(शब्दों में).....

.....+जी0एस0टी0 अतिरिक्त नीलामी तिथि को ही अध्यक्ष, निष्प्रयोज्य समिति द्वारा फार्म-4 पर Letter of Intent प्रदान करते ही 02 घण्टे के भीतर अवश्य जमा कर दिया जायेगा।

7. नीलामी आदेश जारी हो जाने के उपरान्त मेरे द्वारा उपरोक्त क्रमांक-6 के अनुसार ही कुलनीलामी मूल्य का शेष 75% धनराशि रु
 (अंको में) रु.....
 (शब्दों में) रु.....
 +जी0एस0टी0 अतिरिक्त भी 10 दिनों के भीतर विश्वविद्यालय कोष में जमा करने का वचन देता हूँ।
8. प्रार्थी/बोलीकर्ता/बिडर/केता परिशिष्ट-1 के शिडयूल स0-1-A एवं 1-B में दर्शाये गये 30 वृक्षों के 206 अदद बोटो एवं आम के 02 अदद एवं जामुन के 01 अदद खड़े वृक्षों (कुल 33 अदद वृक्षों)को एक मुश्त एवं समेकित रूप से नीलामी में एक साथ खरीदने हेतु निम्न बोली लगा रहा हूँ।
 (i) प्रथम बोली की धनराशि
 रु..... (अंको में) रु..... (शब्दों में)
 (ii) द्वितीय बोली की धनराशि
 रु..... (अंको में) रु..... (शब्दों में)
 (iii) तृतीय बोली की धनराशि
 रु..... (अंको में) रु..... (शब्दों में)
 (iv) चतुर्थ बोली की धनराशि
 रु..... (अंको में) रु..... (शब्दों में)
 (v) पंचम बोली की धनराशि
 रु..... (अंको में) रु..... (शब्दों में)
 (vi) छठी बोली की धनराशि
 रु..... (अंको में) रु..... (शब्दों में)
 (vii) सप्तम बोली की धनराशि
 रु..... (अंको में) रु..... (शब्दों में)
9. बोलीकर्ता/प्रतिभागी व्यक्ति का नाम..... पुत्र/पति (पिता अथवा पति का नाम): श्री/मेसर्स.....
10.
 पता..... जनपद..... का निवासी हूँ/है।
 मोबाइल सं०/दूरभाष सं०.....
 संलग्नक: पहचान पत्र की छायाप्रति संलग्न है।
- बोलीकर्ता/प्रतिभागी बिडर के हस्ताक्षर
- दिनांक.27.02.2025

मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
गोरखपुर-273010

पत्रांक:मा0प्रौ0वि0 / उद्यान-सी0डी0सी0-नीलामी / /2025

दिनांक:

सेवा में,
कुलसचिव,
मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
गोरखपुर।

विषय: उद्यान अनुभाग / सी0डी0सी0 के 30 वृक्षों के 206 अदद शीशम,सागौन, सेमर एवं वोतल पाम प्रजाति के बोटो (निविदा सं0-मा0प्रौ0वि0 / उद्यान-सी0डी0सी0-नीलामी / 454 / 2025 दिनांक 27.02.2025 के परिशिष्ट-1 के शिडयूल स0-1- A, 1-B एवं 1-C के अनुसार एवं आम के 02 अदद एवं जामुन के 01 अदद खड़े वृक्षों (कुल 33 अदद वृक्षों) की खुली नीलामी से सम्बंधित उद्धृत अधिकतम बोली / दरों का निष्प्रयोज्य समिति / स्कैप मूल्यांकन समिति द्वारा प्रमाणित प्रमाण-पत्र / उद्घोषणा-पत्र / Letter of Intent

महोदय,

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त निविदा के अधीन कुलव्यक्तियों / क्रेता / बोलीकर्ताओं जिनके नाम,पता एवं 07चक्रों में लगाई / उद्धृत की गयी बोली / नीलामी मूल्य परिशिष्ट-3 पर अवलोकनार्थ संलग्न है, प्रतिभागियों द्वारा आज दिनांक: 27.02.2025 को परिशिष्ट-1 पर दर्शाये गए उपरोक्त विषयक शिडयूल स0-1- A, 1-B एवं 1-C के उपरोक्त 206 अदद विभिन्न प्रजातियों के लकड़ी के बोटों के लाट्स एवं आम के 02 अदद एवं जामुन के 01 अदद खड़े वृक्षों (कुल 33 अदद वृक्षों)की बोली हमारे सामने 'जहां है जैसा है'(As is Where is) के आधार पर निम्नवत् लगाई / उद्धृत की गयी:-

- 1- प्रथम चरण की अधिकतम बोली रु..... (अंको में) रु.....
.....(शब्दों में)
प्रथम चरण की अधिकतम बोली लगाने वाले बोलीकर्ता / बिडर का नाम एवं पता.....
- 2- द्वितीय चरण की अधिकतम बोली रु..... (अंको में) रु.....
.....(शब्दों में)
द्वितीय चरण की अधिकतम बोली लगाने वाले बोलीकर्ता / बिडर का नाम एवं पता.....
- 3- तृतीय चरण की अधिकतम बोली रु..... (अंको में) रु.....
.....(शब्दों में)
तृतीय चरण की अधिकतम बोली लगाने वाले बोलीकर्ता / बिडर का नाम एवं पता.....
- 4- चतुर्थ चरण की अधिकतम बोली रु..... (अंको में) रु.....
.....(शब्दों में)
चतुर्थ चरण की अधिकतम बोली लगाने वाले बोलीकर्ता / बिडर का नाम एवं पता.....

5- पंचम चरण की अधिकतम बोली रू..... (अंको में) रू.....
.....(शब्दों में)

पंचम चरण की अधिकतम बोली लगाने वाले बोलीकर्ता/बिडर का नाम एवं पता.....
.....

6- षष्ठी चरण की अधिकतम बोली रू..... (अंको में) रू.....(शब्दों में)

षष्ठी चरण की अधिकतम बोली लगाने वाले बोलीकर्ता/बिडर का नाम एवं पता.....
.....

7- सप्तम चरण की अधिकतम बोली रू..... (अंको में) रू.....(शब्दों में)

सप्तम चरण की अधिकतम बोली लगाने वाले बोलीकर्ता/बिडर का नाम एवं पता.....
.....

उपरोक्त सातों चरणों के उपरान्त बोलीकर्ता/बिडर श्री/श्रीमती/मेसर्स.....
.....पुत्र: श्री.....की बोली समग्र एवं एकमुश्त रूप में रू.....
.....सर्वोच्च पायी गयी ।

समिति सर्वसम्मति से श्री.....को कुल नीलामी मूल्य रू(अंको में) रू.....
.....(शब्दों में) में परिशिष्ट-1 पर दर्शाये गये शिडयूल सं0-1-A, 1-B एवं 1-

C की विभिन्न प्रजातियों के 30 वृक्षों से निर्मित 206 अदद लकड़ियों के बोटों को एवं आम के 02 अदद एवं जामुन के 01 अदद खड़े वृक्षों 'जहां है जैसा है' (As is Where is) के आधार पर इस प्रतिबंध सहित नीलामी द्वारा विक्रय किये जाने की संस्तुति समिति प्रदान करती है, कि उक्त श्री..... द्वारा अधिकतम उद्धरित किया गया नीलामी

मूल्य रू0..... + विश्वविद्यालय द्वारा व्यय की गई धनराशि Rs. 1,43,075/= (G.ST. अतिरिक्त) कुल रूपये.....(अंको में)..... (शब्दों में)

.....का 25% धनराशि रू
(अंको में) रू.....

.....(शब्दों में) (GST अतिरिक्त) आज ही वित्त नियंत्रक कार्यालय से सम्पर्क करके विश्वविद्यालय कोष में सम्बंधित मद में धरोहर धनराशि के रूप में जमा करना सुनिश्चित करें एवं उक्त कुल नीलामी मूल्य रूपये.....का शेष 75% नीलामी मूल्य रू..... (अंको में) रू.....


.....(शब्दों में)(GST अतिरिक्त) कुल रूपये.....
.....(अंको में) रूपये.....

.....(शब्दों में) नीलामी-आदेश जारी हो जाने के 10 दिनों के भीतर विश्वविद्यालय कोष में अवश्य जमा कर दें एवं विश्वविद्यालय द्वारा इस टेण्डर-विज्ञप्ति को समाचार-पत्रों में प्रकाशित कराने पर हुए व्यय को भी नीलामी-आदेश जारी होने के 12 दिनों के अन्दर विश्वविद्यालय कोष में पृथक से अवश्य जमा करना सुनिश्चित करें।

क्रेता/बिडर/बोलीकर्ता श्रीको इस आशय से निर्देशित किया जाता है, कि, विश्वविद्यालय के वित्त अनुभाग के माध्यम से विश्वविद्यालय कोष में निविदा की समस्त नियम एवं शर्तों का पालन करते हुए नीलामी मूल्य जमा करना अनिवार्य होगा एवं उपरोक्त के अतिरिक्त निविदा की नियम एवं शर्तें-कमांक: 12 के अनुपालन में क्रेता द्वारा अपने स्वयं के व्यय पर आम के 02 एवं जामुन के 01 अदद खड़े वृक्षों का पातन कराने के उपरान्त ही कार्यालय-प्रभागीय वन अधिकारी, गोरखपुर से नियमानुसार नीलामी से आच्छादित समस्त 30 वृक्षों के 206 अदद बोटों तथा 03 अदद खड़े चिन्हित वृक्ष (परिशिष्ट-1-C) को श्रेत्रीय वन अधिकारी, गोरखपुर से अपने व्यय पर आवेदनोपरांत अभिवहन पास प्राप्त करके उक्त की 01 प्रति विश्वविद्यालय को हस्तगत कराने के उपरान्त ही बिडर/बोलीकर्ता के पक्ष में कुलसचिव महोदय द्वारा गेट-पास निर्गत किया जायेगा।

निष्प्रयोज्य समिति की संस्तुति:

स्कैप मूल्यांकन समिति की संस्तुति



श्री मनोज बालोनी
सहायक लेखाकार

पत्रांक:मा0प्रौ0वि/वित्त/INC-112

/2025 दिनांक:27.02.2025

द्वारा वित्त नियंत्रक के नामित प्रतिनिधि

श्री जगदीश सिंह
स्टोरकीपर

सदस्य-सचिव/कन्वीनर

निष्प्रयोज्य/स्कैप मूल्यांकन समिति

अध्यक्ष, निष्प्रयोज्य/स्कैप मूल्यांकन समिति

वित्त नियंत्रक
प्रति हस्ताक्षरित

कुलसचिव
प्रति हस्ताक्षरित

पृष्ठ0स0 व दिनांक: उपरोक्त।

प्रतिलिपि: सादर सूचनार्थ एवं अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित-

01. वै0 स0 कुलपति को मा0 कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ सादर प्रेषित।
02. डा0 अमित कुमार बरनवाल, सह अधिष्ठाता, उद्यान एवं परिसर विकास प्रकोष्ठ को इस अनुरोध सहित सूचनार्थ प्रेषित कि निविदा के नियमानुसार, आदेशित बिडर द्वारा नीलामी मूल्य शत-प्रतिशत विश्वविद्यालय कोष में जमा कर देने एवं कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर वन विभाग, गोरखपुर के पत्रांक: 3915/37-1 दिनांक: 02 मार्च, 2023, पत्रांक:1664/37-1 दिनांक: 01 अक्टूबर, 2021, पत्रांक:1052/37-1 दिनांक: 01 सितम्बर, 2021 तथा पत्रांक: 4453/37-1 दिनांक: 15 मार्च, 2022 के क्रम में पातन अनुज्ञा की शर्तों के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में जमा बन्धक जमानत की धनराशि FDR खाता सं0-40838059114, दिनांक: 08.03.2022, मु0 रू 25,000/- (पच्चीस हजार रू मात्र) एवं FDR खाता सं0-40838060312, दिनांक: 08.03.2022, मु0 रू 5,000/- (पांच हजार रू मात्र) को नियमानुसार नीलामी की कार्यवाही पूर्ण होने के उपरांत बन्धक अवमुक्त (Revoke) कराते हुए विश्वविद्यालय कोष में जमा करवाना सुनिश्चित करें एवं आदेशित बिडर, द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, गोरखपुर से अपने व्यय पर अभिवहन पास प्राप्त करके प्रकाष्ठ को ढुलान कराने के पूर्व नियमानुसार आदेशित बिडर द्वारा उसके व्यय पर 30 वृक्षों के 206 अदद बोंटों एवं आम के 02 अदद एवं जामुन के 01 अदद खड़े वृक्षों (कुल 33 अदद वृक्षों) के फैक्टर के अनुसार रू 100/- प्रति टन जमा कर, अभिवहन पास निर्गत हो जाने एवं तदक्रम में कुलसचिव महोदय द्वारा अधिकारिक स्तर से गेट पास जारी कर दिये जाने के उपरान्त ही बिडर को शिडयूल सं0-1-A, 1-B एवं 1-C का प्रकाष्ठ (206 अदद बोंटों) एवं शिडयूल सं0-1-C के आम के 02 अदद एवं जामुन के 01 अदद खड़े वृक्षों (कुल 33 अदद वृक्षों) को हस्तगत कराना सुनिश्चित करें।
03. कुलसचिव महोदय को सूचनार्थ एवं अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु इस अनुरोध के सहित प्रेषित कि उक्त आदेशित बिडर/बोलीकर्ता/केता द्वारा इस Letter of Intent की समस्त शर्तों एवं प्रक्रियाओं को पूर्ण करने के उपरांत ही उनके

- पक्ष में नियमानुसार सक्षम अधिकारी महोदय द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदनोपरांत ही वित्त नियंत्रक महोदय द्वारा हस्तांतरित नीलामी-आदेश उक्त क्रेता/बिडर के पक्ष में जारी करवाने की सादर कृपा करें।
04. वित्त नियंत्रक महोदय को सूचनार्थ एवं अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित कि कृपया तदक्रम में सक्षम अधिकारी महोदय द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करने के उपरांत उक्त क्रेता/बिडर के पक्ष में रु 100/- के नान जुडिशियल स्टैम्प पर एग्रीमेंट हस्ताक्षरित करवाने के उपरांत ही नीलामी आदेश जारी करने की कृपा करें।
05. भण्डार अधिकारी महोदय को सूचनार्थ एवं अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
06. श्री जगदीश सिंह, स्टोरकीपर/सदस्य-सचिव/कन्वीनर, निष्प्रयोज्य समिति/स्कैप मूल्यांकन समिति को सूचनार्थ एवं नीलामी की निविदा की नियम एवं शर्तों के अनुसार ही गेट पास बनाकर कुलसचिव महोदय से हस्ताक्षरोपरांत जारी करने हेतु प्रेषित।
07. श्री/श्रीमती/मे०.....(नाम एवं पूर्ण पता)
- को सूचनार्थ एवं इस अनुरोध सहित कि, कृपया नीलामी आदेश जारी होने के पूर्व Rs. 100/= का नान जुडीशियल स्टैम्प पेपर पर इस निविदा की समस्त नियम एवं शर्तों को पूर्ण करने की संविदा वित्त नियंत्रक महोदय के साथ हस्ताक्षरित करते हुए निविदा से सम्बंधित परिशिष्ट-2 पर अंकित नियम एवं शर्तों के अनुसार, समस्त कार्यवाही पूर्ण करने के उपरांत प्रभागीय वन अधिकारी, गोरखपुर से नियमानुसार अभिवहन पास अपने स्तर से जारी करवाने के उपरांत कुलसचिव कार्यालय में 01 प्रति हस्तगत करवाने के उपरांत गेट पास पर सह अधिष्ठाता, उद्यान/ परिसर विकास प्रकोष्ठ से शिडयूल स0-1-A, 1-B एवं 1-C का प्रकाष्ठ (30 अदद वृक्षों के 206 अदद बोटों) एवं 1-C के आम के 02 अदद एवं जामुन के 01 अदद खड़े वृक्षों (कुल 33 अदद वृक्षों) प्राप्त करके अपने गन्तव्य स्थल पर 02 सप्ताह के भीतर ले जाना सुनिश्चित करें।
08. प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर, वन प्रभाग, गोरखपुर महोदय को उनके पत्रांक:3915/37-1 दिनांक: 02 मार्च, 2023, पत्रांक:1664/37-1दिनांक: 01 अक्टूबर, 2021, पत्रांक:1052/37-1 दिनांक: 01 सितम्बर, 2021 तथा पत्रांक: 4453/37-1 दिनांक: 15 मार्च, 2022 के क्रम में सादर सूचनार्थ एवं इस अनुरोध सहित कि, कृपया उपरोक्त बिडर द्वारा नियमानुसार, आपके विभाग से आवेदन करते हुए निर्धारित शुल्क जमा करके अभिवहन पास निर्गत कराने के उपरान्त विश्वविद्यालय द्वारा पातन की अनुज्ञा शर्तों के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में जमा बन्धक जमानत की धनराशि FDR खाता स0-40838059114, दिनांक: 08.03.2022, मु० रु 25,000 /-(पच्चीस हजार रु मात्र) एवं FDR खाता स0-40838060312, दिनांक: 08.03.2022, मु० रु 5,000 /-(पांच हजार रु मात्र) को विश्वविद्यालय के पक्ष में बन्धक अवमुक्त (Revoke) करते हुए आदेशित बिडर द्वारा नियमानुसार आवेदन करने पर उसके पक्ष में निर्धारित अभिवहन पास यथाशीघ्र जारी करने की सादर अनुकम्पा करें।
09. शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक,म०मो०मा०इन्जी० कॉलेज, गोरखपुर, सम्प्रति मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर महोदय को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अध्यक्ष, निष्प्रयोजन समिति/स्कैप मूल्यांकन समिति
मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
गोरखपुर, उ०प्र० -273010

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी गोरखपुर वन प्रभाग, गोरखपुर :
पत्रांक 3015/37-1, दिनांक, गोरखपुर, मार्च, 07/2023

श्री. श्री.

कुलपति,
मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी, विश्वविद्यालय,
गोरखपुर।

विषय-
संदर्भ-

मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी, विश्वविद्यालय परिसर में सूखे निरोध रूप शीतान के बंधन के मुल्यांकन के सम्बन्ध में।
आपका पत्रांक-मा0प्रौ0वि0/सद्या-01/1000/2023 दिनांक 13.01.2023

उपरोक्त संदर्भित विषयगत पत्र के क्रम में विषयगत खण्ड मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी, विश्वविद्यालय परिसर में सूखे निरोध रूप शीतान के बंधन के मुल्यांकन तालिका निम्नलिखित रीति से किये गए हैं। जिस पर आप प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर द्वारा अपनी चर्चा की गयी है। विवरण वही या मूल्यांकन धनराशि रु 34110/- (रुपये तीस हज़ार एक सौ सत्तार बस) है (केवल सार्वजनिक प्रयोजन)। यह मूल्यांकन मालवीय प्रौद्योगिकी, विश्वविद्यालय परिसर में सूखे निरोध रूप शीतान के बंधन के मुल्यांकन के सम्बन्ध में किया गया है। मूल्यांकन वही का विवरण निम्न प्रकार है-


क्र.सं.	विवरण	बन्धन की राशि	कुल राशि
1	शीतान बन्धन	34110	34110







उपरोक्त वही के ध्यान में उपरोक्त खण्ड (परिसर में बंधन) के ध्यान में निम्नानुसार वन विभाग से सम्बन्धित पत्र को बना अनिवार्य होगा। अनुचित प्रकार से उपरोक्त बंधन 34 हज़ार एक सौ सत्तार बस से कम में ही सम्बन्धित वन विभाग से प्राप्त किया जाने के उपरोक्त अभिप्रेत प्राप्त निर्णय करने की आवश्यकता नहीं होगी।


प्रभागीय वनाधिकारी
गोरखपुर वन प्रभाग, गोरखपुर

संख्या 3015-स/सकविनांक।

- प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- 1-उप प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर का पत्रांक-3015/पत्र दिनांक 23.02.2023
 - 2-गो.वि. प्रौद्योगिकी, विश्वविद्यालय का पत्रांक-01/1000/2023 दिनांक 13.01.2023


प्रभागीय वनाधिकारी
गोरखपुर वन प्रभाग, गोरखपुर

24-9-24
Amu







कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी गोरखपुर वन प्रभाग, गोरखपुर
पत्रांक/1052/37-1, दिनांक गोरखपुर, सितम्बर 20/ / 2021

सेवा में

कूल सचिव
मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
गोरखपुर।

विषय-

मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर में निर्माणधीन प्रशासनिक भवन कार्य स्थल के
जमीन के मूल्यांकन के सम्बन्ध में।

संदर्भ-

आपका पत्रांक-सा0प्रौद्योगिकी/निर्माण/INC-132/1B2/2021 दिनांक 26.08.2021

सहोदय

उपरोक्त संदर्भित विषयगत पत्र के क्रम में विषयगत स्थल मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर में निर्माणधीन प्रशासनिक भवन कार्य स्थल के जमीन का मूल्यांकन क्षेत्रीय वनाधिकारी, विल्लुकेन्द्र से कराया गया। जिस पर उक्त प्रभागीय वनाधिकारी गोरखपुर द्वारा अपनी सहमति दी गयी है। विषयगत पत्र का मूल्यांकन अनुपात 100/गुण्टा (दो सौ रुपये प्रति गुण्टा) है (फिजल राजकीय प्रयोजनों)। उक्त मूल्यांकन अनुपात को ध्यान में रखते हुए यदि इन जमीनों की खरीद नीलामी से हो रही होती है तो प्रतिगुण्टा एक सौ सत्तर रुपये का दर इस अनुपात मूल्य जमाने से कमनाकरा है। मूल्यांकन की को प्रतिलिपि निम्न प्रकार है-

क्रमांक	पत्रांक	वृक्ष संख्या	मूल्य प्रति (रु. में)
1	1052/37-1	100	10000
2	1052/37-1	100	10000

उक्त के आधार पर नीलामी के उपरांत जमीनों के मूल्यांकन अनुपात/जमीनों को कब्र में जाने हेतु जमा जो नियमानुसार इस कार्यालय में प्राप्त होना आवश्यक है। जिसके लिए जमा जो विकसितार 100/गुण्टा प्रति एक सौ सत्तर रुपये प्रति गुण्टा/गुण्टा 10000/गुण्टा प्रति एक सौ सत्तर रुपये प्रति गुण्टा की अनुपात पर निर्धारित मूल्य के आधार पर जमा के अनुसार निम्नलिखित को ध्यान रखकर इस कार्यालय में जमा किया जाएगा।

प्रभागीय वनाधिकारी

गोरखपुर वन प्रभाग, गोरखपुर

संख्या 1052/37-1/संज्ञा/निर्माण

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को भेजा जा रहा है-
- 1- जिला विकास अधिकारी, गोरखपुर।
- 2- उक्त प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर।
- 3- क्षेत्रीय वनाधिकारी, गोरखपुर।

Handwritten marks and dates: 24-9-24, 1900, and a signature.

Handwritten signature: Bishnoi

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी गोरखपुर वन प्रभाग
 पत्रांक 80/37-1, दिनांक, गोरखपुर, अक्टूबर 2021



शुलकादि
 मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय,
 गोरखपुर।

मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, गोरखपुर में निर्माण कार्य के लिए आवश्यक वृक्षों के मूल्यांकन के सम्बन्ध में।

आपका पत्रांक-माहौली/निर्माण /INC_132/221/2021 दिनांक 10/09/2021

उपरोक्त संदर्भित विषयगत पत्र के क्रम में विषयगत स्थल मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, गोरखपुर निर्माधीन प्रशासनिक मदन कार्य स्थल वृक्षों का मूल्यांकन कार्य सम्पन्न किया गया। जिस पर उप प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर द्वारा अपनी सहमति दी गयी है। विषयगत वृक्ष का मूल्य अंश 54638.61/- (रुपये चौवन हजार छ सौ उनतालीस मात्र) है किन्तु राजकीय प्रणाली में इस मूल्य का घनराशि न्यूनतम है। यदि इन वृक्षों की खुली नीलामी होती है तो प्रतिवृक्ष पर बाजार मूल्य की दृष्टि से इसका मूल्य बढ़ने की सम्भावना है। मूल्यांकित वृक्षों का विवरण निम्न प्रकार है-

क्रमांक	प्रजाति	वृक्ष संख्या	घनराशि (रु० में)
1	सागौन हर/सूखा	11	17007.95
2	रोखल हर	24	3537.58
3	बाग हर	02	27518.00
4	शीशम हर	01	525.00
	योग	18 वृक्ष	54638.61
			या 54639.00

उक्त के अतिरिक्त नीलामी के उपरान्त वृक्षों के कटवाने एवं उत्पादित प्रकाष्ठ/जलाने का हस्तान्तरण हेतु क्रेता को नियमानुसार इस कार्यालय से पातन परमिट एवं अनिदलन प्राप्त कराने अनिवार्य होगा। इसके लिए क्रेता को नियमानुसार 100/- प्रति वृक्ष की दर से आवेदन/अनुमति शुल्क, 1000/- प्रति वृक्ष की दर से NSC/जगन्नाथ की घनराशि, घन सजिलेशन शुल्क एवं उत्पादित प्रकाष्ठ के आयात के अनुसार विभिन्न शुल्क इस कार्यालय में जमा करना होगा।

गोरखपुर

सख्या 1669 अ/उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1-उप प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर।
- 2-संज्ञीय वनाधिकारी, तिलकोनिया को उनके पत्रांक 80/37 दिनांक 27/09/2021

4

24/9/21
 1965
 DIO Division
 Arun

Signature

गोरखपुर

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी गोरखपुर वन प्रभाग, गोरखपुर
पत्रांक 4953/37-1 दिनांक, गोरखपुर, मार्च, 15 / 2022



सेवा में,

कुलसचिव,
मदन मोहन मालवीय प्रायोगिकी विश्वविद्यालय
गोरखपुर।

विषय:- मदन मोहन मालवीय प्रायोगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर। के परिसर में स्थित विभिन्न प्रजाति के हरे खड़े 30 वृक्षों को काटने की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक-मा0प्रौ0वि0/लेखा/120 दिनांक 22.02.2022
महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण पर क्षेत्रीय वन अधिकारी तिलकोनियों रेंज की जाँच/संस्तुति तथा उप प्रभागीय वनाधिकारी गोरखपुर की संस्तुति के आधार पर मदन मोहन मालवीय प्रायोगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर को 30 वृक्षों के पातन अनुज्ञा के शर्तों के अनुसार बन्धक जमानत की धनराशि एफ0डी0आर0 खाता सं0-40838059114 दिनांक 08.03.2022 मु0 25000/- (रु0 पच्चीस हजार मात्र) एवं एफ0डी0आर0 खाता सं0-40838060312 दिनांक 08.03.2022 मु0 50000/- (रु0 पांच हजार मात्र) द्वारा जमा किया गया है। मदन मोहन मालवीय प्रायोगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर के परिसर में हरे खड़े विभिन्न प्रजाति के 30 वृक्षों को काटने की अनुमति इस शर्त पर दी जाती है कि आप कंटान के पूर्व रु0-100/- प्रति वृक्ष की दर से पातन शुल्क की धनराशि तथा अपना प्रापटी घन रजिस्ट्रेशन शुल्क 75/- रुपये की धनराशि आप क्षेत्रीय वनाधिकारी तिलकोनियों के कार्यालय में जमा कर नियमानुसार पातन की कार्यवाही करेंगे।

उक्त वृक्षों को काटने के पश्चात प्रकाष्ठ को ढुलान करने के पूर्व नियमानुसार उत्पादित प्रकाष्ठ फैक्टर के अनुसार 38/- प्रति टन जमा कर अभिवहन पास अलग से लेना अनिवार्य होगा।

भवदीय

(विकास यादव)
प्रभागीय वनाधिकारी,
गोरखपुर वन प्रभाग, गोरखपुर

संख्या अ/उक्तदिनांकित

प्रतिलिपि:-1-क्षेत्रीय वनाधिकारी तिलकोनियों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नियमानुसार पातन आवेदन अनुमति शुल्क, घन रजिस्ट्रेशन शुल्क की धनराशि प्राप्त करना सुनिश्चित करें तथा यह भी सुनिश्चित करें कि 30 वृक्षों के अतिरिक्त वृक्षों का पातन न होने पाये। इसकी आड़ में अवैध पातन एवं अवैध प्रकाष्ठ को ढुलान की कोई संभावना न रहे।

प्रतिलिपि:-2-उप प्रभागीय वनाधिकारी गोरखपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

(विकास यादव)
प्रभागीय वनाधिकारी,
गोरखपुर वन प्रभाग, गोरखपुर

सहाय सचिव, सी०जे० सी०
कुठ गोरखपुर कामकाज हेतु।

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड - 5, भाग-2

प्रपत्र संख्या - 43 ए (1) (प्रस्तर 417 एवं 478 देखिए)

धनराशि जमा करने का चालान फार्म

उपकोषागार / बैंक का नाम व शाखा

SBI गोरखपुर

1. जिस व्यक्ति (पदनाम यदि आवश्यक हो) या संस्था के नाम से धनराशि जमा की जा रही है उसका नाम

श. द. कोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्व विद्यालय गोरखपुर

2 पता

प्रभागीय कार्यालय गोरखपुर व. प्रभाग- गोरखपुर

3 पंजीकरण संख्या/पक्ष का नाम बाद संख्या (यदि आवश्यक हो)

उपरोक्त

4. जमा की जा रही धनराशि का पूर्ण विवरण (धनराशि किस हेतु जमा की जा रही है तथा किसी विभाग के पक्ष में जमा की जा रही है।)

उत्प्रेषण एवं अन्य कोषों से प्राप्त का राजस्व

वन विभाग

5. चालान की सकल राशि

3075/-

6. चालान की निबल राशि

7. लेखा शीर्षक का पूर्ण विवरण/लेखा शीर्षक की मुहर

0406-01-800-03-00 उत्प्रेषण एवं अन्य कोषों से

8. लेखा शीर्षक का 13 डिजिट कोड

मुख्य लेखा-शीर्षक उप मुख्य-शीर्षक लघु शीर्षक उप-शीर्षक व्यौचर-शीर्षक धनराशि (शब्दों में)

0	4	0	6	0	1	8	0	0	0	3	0	0	3075/-

धनराशि (शब्दों में) तीन हजार पचहत्तर मात्र।

योग 3075/-

चालान में लेखाशीर्षक की पुष्टि करने वाले विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित

अ. द. कोहन अधिकारी
निर्देशक वित्त

जमाकर्ता का नाम व मुहर

केवल उपकोषागार बैंक के प्रयोगार्थ

भारतीय मुद्रा संस्था
21 MAR 2024
राज्य जमा शब्दा में
IN. D. PANDEY

चालान संख्या (Lower 7)

3075/-

दिनांक

तीन हजार पचहत्तर मात्र।

24/9/24
Arml

ABichrahi

प्राप्त किया

अधिकृत विभाग

वन विभाग, गोरखपुर मंडल, गोरखपुर, 30750

स-3 बुक नं० 12534

नं०

दिनांक 21-3-2022

वन प्रभाग गोरखपुर

श्री. कुल सचिव नदनमौल्य कर्मवीर प्रोद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर

रुपया 3075/- तीन हजार पचहत्तर मात्र। - प्राप्त किया।

बाबत प्रक. गोरखपुर के बलंक 4452/अन-1 डि० 15-3-2022 के क्रम में

30 हजार के घातन का अनुमति शुल्क 3000000
75000

दिनांक 3075-0 प्राप्तकर्ता हरिंद्र कुमार

पद नाम सहायक वन अधिकारी गोरखपुर

24-9-24

Bishnoi

D

Army


Jh



19
परिशिष्ट-L-C

भातिका आभे. विभाग

200









परिशिष्ट-1-C

23

थान्त्रिक अभि० विभाग

204



Bill of Quantity (BOQ)

क्र०सं०	बोटो की संख्या	बोटो की लम्बाई (फुट एवं इंच में)	बोटो की मोटाई एवं गोलाई (फीट एवं इंच में)	लकड़ी की प्रजाति
01	1	07 फुट	03 फीट	सागौन
02	2	07 फुट	01 फीट 3 इंच	सागौन
03	3	07 फुट	02 फीट	सागौन
04	4	07 फुट	02 फीट	सागौन
05	5	07 फुट	01 फीट 6 इंच	सागौन
06	6	07 फुट	01 फीट 8 इंच	सागौन
07	7	07 फुट	02 फीट	सागौन
08	8	07 फुट	02 फीट	सागौन
09	9	06 फुट	01 फीट	सागौन
10	10	07 फुट	01 फीट 6 इंच	सागौन
11	11	07 फुट	02 फीट	सागौन
12	12	07 फुट	03 फीट	सागौन
13	13	05 फुट	02 फीट 3 इंच	सागौन
14	14	05 फुट	02 फीट 4 इंच	सागौन
15	15	06 फुट	01 फीट	सागौन
16	16	05 फुट	02 फीट	सागौन
17	17	05 फुट	02 फीट	सागौन
18	18	04 फुट	01 फीट 2 इंच	सागौन
19	19	05 फुट	01 फीट	सागौन
20	20	06 फुट	10 इंच	सागौन
21	21	04 फुट	02 फीट 6 इंच	सागौन
22	22	07 फुट	02 फीट 4 इंच	सागौन
23	23	04 फुट	01 फीट 8 इंच	सागौन
24	24	04 फुट	01 फीट 6 इंच	सागौन
25	25	06 फुट	03 फीट	सागौन
26	26	05 फुट	03 फीट 3 इंच	सागौन
27	27	07 फुट	04 फीट	सागौन
28	28	05 फुट	01 फीट 5 इंच	सागौन
29	29	07 फुट	01 फीट	सागौन
30	30	07 फुट	03 फीट 6 इंच	सागौन
31	31	07 फुट	03 फीट	सागौन
32	32	04 फुट	01 फीट 6 इंच	सागौन
33	33	07 फुट	02 फीट 6 इंच	सागौन
34	34	07 फुट	02 फीट 7 इंच	सागौन
35	35	04 फुट	02 फीट	सागौन
36	36	07 फुट	05 फीट	सागौन
37	37	04 फुट	04 फीट	सागौन
38	38	05 फुट	02 फीट 5 इंच	सागौन
39	39	03 फुट 6 इंच	03 फीट 6 इंच	सागौन
40	40	04 फुट	03 फीट	सागौन
41	41	04 फुट	01 फीट 5 इंच	सागौन

24-09-24

Amul

(Handwritten signatures and marks)

42	42	04 फुट	02 फीट 3 इंच	सागौन
43	43	03 फुट 9 इंच	02 फीट 5 इंच	सागौन
44	44	05 फुट	02 फीट	सागौन
45	45	05 फुट	01 फीट 6 इंच	सागौन
46	46	07 फुट	01 फीट 7 इंच	सागौन
47	47	07 फुट	01 फीट 8 इंच	सागौन
48	48	06 फुट	01 फीट	सागौन
49	49	03 फुट	02 फीट	सागौन
50	50	05 फुट 6 इंच	01 फीट 3 इंच	सागौन
51	51	04 फुट 6 इंच	02 फीट	सागौन
52	52	04 फुट	02 फीट 3 इंच	सागौन
53	53	05 फुट	02 फीट	सागौन
54	54	08 फुट	01 फीट 3 इंच	सागौन
55	55	04 फुट	01 फीट 8 इंच	सागौन
56	56	07 फुट	01 फीट 2 इंच	सागौन
57	57	07 फुट	02 फीट 6 इंच	सागौन
58	58	07 फुट	03 फीट 6 इंच	सागौन
59	59	07 फुट	02 फीट 10 इंच	सागौन
60	60	07 फुट	03 फीट	सागौन
61	61	07 फुट	02 फीट	सागौन
62	62	04 फुट	01 फीट	सागौन
63	63	05 फुट	03 फीट	सागौन
64	64	08 फुट	02 फीट 8 इंच	सागौन
65	65	07 फुट	02 फीट 4 इंच	सागौन
66	66	05 फुट	01 फीट	सागौन
67	67	07 फुट	03 फीट 3 इंच	सागौन
68	68	06 फुट	01 फीट 5 इंच	सागौन
69	69	05 फुट	03 फीट 3 इंच	सागौन
70	70	08 फुट	04 फीट	सागौन
71	71	07 फुट 06 इंच	04 फीट	सागौन
72	72	07 फुट	03 फीट	सागौन
73	73	06 फुट	01 फीट 6 इंच	सागौन
74	74	07 फुट	03 फीट	सागौन
75	75	06 फुट	02 फीट 4 इंच	सागौन
76	76	08 फुट	01 फीट 3 इंच	सागौन
77	77	06 फुट	02 फीट	सागौन
78	78	06 फुट	02 फीट 8 इंच	सागौन
79	79	07 फुट	04 फीट	सागौन
80	80	12 फुट	01 फीट 6 इंच	सागौन
81	81	04 फुट	03 फीट	सागौन
82	82	05 फुट 6 इंच	02 फीट	सागौन
83	83	05 फुट	02 फीट	सागौन
84	84	04 फुट	03 फीट 6 इंच	सागौन
85	85	05 फुट	02 फीट	सागौन
86	86	04 फुट	04 फीट	सागौन

41

Amul

04-9-24

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

87	87	06 फुट		
88	88	10 फुट 9 इंच	03 फीट	सागौन
89	89	08 फुट	02 फीट 9 इंच	सागौन
90	90	08 फुट	02 फीट 2 इंच	सागौन
91	91	07 फुट	02 फीट 10 इंच	सागौन
92	92	07 फुट 5 इंच	02 फीट 9 इंच	सागौन
93	93	08 फुट	02 फुट 3 इंच	सागौन
94	94	08 फुट	02 फीट 5 इंच	सागौन
95	95	05 फुट	02 फीट 8 इंच	सागौन
96	96	08 फुट	02 फीट 8 इंच	सागौन
97	97	08 फुट	03 फीट 2 इंच	सागौन
98	98	05 फुट	03 फीट 9 इंच	सागौन
99	99	03 फुट 6 इंच	02 फीट	सागौन
100	100	04 फुट	02 फीट	सागौन
101	101	04 फुट	07 फीट	सेमर
102	102	07 फुट	02 फीट 4 इंच	सेमर
103	103	06 फुट	02 फीट 4 इंच	सेमर
104	104	07 फुट	02 फीट 3 इंच	सेमर
105	105	12 फुट	03 फीट	सेमर
106	106	12 फुट	01 फीट 4 इंच	सेमर
107	107	07 फुट	03 फीट	सेमर
108	108	06 फुट	04 फीट	सेमर
109	109	05 फुट	04 फीट	सेमर
110	110	05 फुट	03 फीट	सेमर
111	111	08 फुट	03 फीट	सेमर
112	112	07 फुट	08 फीट	सेमर
113	113	09 फुट	08 फीट 6 इंच	सेमर
114	114	06 फुट	09 फीट	सेमर
115	115	06 फुट	01 फीट 10 इंच	सेमर
116	116	05 फुट	02 फीट	सेमर
117	117	07 फुट	02 फीट	सेमर
118	118	07 फुट	02 फीट 6 इंच	सेमर
119	119	06 फुट	02 फीट	सेमर
120	120	05 फुट	01 फीट 6 इंच	सेमर
121	121	08 फुट	13 फीट	सेमर
122	122	05 फुट	02 फीट	सेमर
123	123	05 फुट	05 फीट	सेमर
124	124	03 फुट 6 इंच	02 फीट	सेमर
125	125	06 फुट	03 फीट	सेमर
126	126	07 फुट	04 फीट	सेमर
127	127	07 फुट	05 फीट 6 इंच	सेमर
128	128	05 फुट	02 फीट 8 इंच	सेमर
129	129	04 फुट	02 फीट 4 इंच	सेमर
130	130	04 फुट 5 इंच	02 फीट 9 इंच	सेमर
131	131	05 फुट	02 फीट 4 इंच	सेमर
		07 फुट	05 फीट 10 इंच	सेमर

24

Amu

24-9-24

SE

SA

R

ABidushi

4

132	132	05 फुट		
133	133	06 फुट	02 फीट 6 इंच	सेमर
134	134	07 फुट	02 फीट	सेमर
135	135	05 फुट	07 फीट	सेमर
136	136	05 फुट	07 फीट	सेमर
137	137	08 फुट	02 फीट	सेमर
138	138	07 फुट	08 फीट 2 इंच	सेमर
139	139	06 फुट	06 फीट 6 इंच	सेमर
140	140	05 फुट	06 फीट 6 इंच	सेमर
141	141	10 फुट	02 फीट	सेमर
142	142	03 फुट	02 फीट	सेमर
143	143	06 फुट	03 फीट	सेमर
144	144	07 फुट	02 फीट	सेमर
145	145	04 फुट 4 इंच	02 फीट 6 इंच	सेमर
146	146	06 फुट	02 फीट 5 इंच	सेमर
147	147	07 फुट	02 फीट 8 इंच	सेमर
148	148	07 फुट	05 फीट 5 इंच	सेमर
149	149	05 फुट	05 फीट	सेमर
150	150	08 फुट	05 फीट	सेमर
151	151	08 फुट	06 फीट 8 इंच	सेमर
152	152	05 फुट	05 फीट	सेमर
153	153	08 फुट	06 फीट	सेमर
154	154	04 फुट	05 फीट 5 इंच	सेमर
155	155	06 फुट	02 फीट	सेमर
156	156	08 फुट	03 फीट 11 इंच	सेमर
157	157	04 फुट	05 फीट 9 इंच	सेमर
158	158	06 फुट 9 इंच	04 फीट 5 इंच	सेमर
159	159	03 फुट 9 इंच	02 फीट 2 इंच	सेमर
160	160	05 फुट	03 फीट 11 इंच	बोतल पाम
161	161	08 फुट	04 फीट 1 इंच	बोतल पाम
162	162	04 फुट	03 फीट 8 इंच	बोतल पाम
163	163	07 फुट	03 फीट 2 इंच	बोतल पाम
164	164	08 फुट	04 फीट 2 इंच	बोतल पाम
165	165	06 फुट	04 फीट	बोतल पाम
166	166	08 फुट	04 फीट	बोतल पाम
167	167	08 फुट	05 फीट	बोतल पाम
168	168	08 फुट	04 फीट	बोतल पाम
169	169	04 फुट	05 फीट	बोतल पाम
170	170	03 फुट	04 फीट	बोतल पाम
171	171	07 फुट	03 फीट 6 इंच	बोतल पाम
172	172	10 फुट	04 फीट 7 इंच	बोतल पाम
173	173	06 फुट	5 फुट	आम
174	174	06 फुट	02 फुट 9 इंच	आम
175	175	04 फुट	02 फुट 6 इंच	आम
			04 फुट 6 इंच	आम

24-9-24
 Anuraj
 Bishnoi

परिशिष्ट-1
(शि.सं. संख्या: 01-B)

28:

Bill of Quantity

04 of 04

क्रम सं०	बोटों की संख्या	बोटों की लम्बाई (फुट में)	बोटों की मोटाई एवं गोलाई (फीट एवं इंच में)	लकड़ी की प्रजाति
01	1	5 फीट	5 फीट 8 इंच	शीशम है।
02	2	4 फीट	5 फीट 8 इंच	शीशम है।
03	3	5 फीट	4 फीट	शीशम है।
04	4	5 फीट	4 फीट 8 इंच	शीशम है।
05	5	5 फीट	4 फीट 2 इंच	शीशम है।
06	6	6 फीट	3 फीट 2 इंच	शीशम है।
07	7	5 फीट	3 फीट 2 इंच	शीशम है।
08	8	5 फीट	2 फीट	शीशम है।
09	9	5 फीट	2 फीट 4 इंच	शीशम है।
10	10	5 फीट	2 फीट 6 इंच	शीशम है।
11	11	4 फीट	3 फीट	शीशम है।
12	12	5 फीट	3 फीट	शीशम है।
13	13	5 फीट	2 फीट 10 इंच	शीशम है।
14	14	8 फीट	1 फीट 6 इंच	शीशम है।
15	15	7 फीट	2 फीट	शीशम है।
16	16	4 फीट	3 फीट 2 इंच	शीशम है।
17	17	6 फीट	4 फीट 2 इंच	शीशम है।
18	18	5 फीट	2 फीट 8 इंच	शीशम है।
19	19	6 फीट	2 फीट 10 इंच	शीशम है।
20	20	5 फीट	4 फीट 11 इंच	शीशम है।
21	21	6 फीट	4 फीट	शीशम है।
22	22	5 फीट	2 फीट 2 इंच	शीशम है।
23	23	4 फीट	3 फीट	शीशम है।
24	24	4 फीट	2 फीट 6 इंच	शीशम है।
25	25	4 फीट	2 फीट	शीशम है।
26	26	5 फीट	5 फीट	शीशम है।
27	27	5 फीट	5 फीट	शीशम है।
28	28	6 फीट	2 फीट 10 इंच	शीशम है।
29	29	6 फीट	5 फीट	शीशम है।
30	30	7 फीट	1 फुट 8 इंच	शीशम है।
31	31	5 फीट	6 फीट 6 इंच	शीशम है।

24-9-24

Amul

Abishahi